Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding attack on convoy to Sh. Asaduddin Owaisi.

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 18.

माननीय गृह मंत्री जी ।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 3 फरवरी, 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे, श्री असादुद्दीन ओवैसी, सांसद (लोक सभा), किठौर, मेरठ, उत्तर प्रदेश से एक जन संपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे । जब उनका काफिला छिजारसी टोल (प्लाजा), एनएच - 9, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था तो दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गईं । इस घटनाक्रम में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले भाग में तीन गोलियों के निशान दिखाई दिए । उक्त घटना को तीन गवाहों ने भी देखा है । इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड सहिंता और धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है ।

श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही उनके आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को प्राप्त हुई थी । श्री ओवैसी घटना के पश्चात् सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए । जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया । विवेचना के क्रम में, स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे दो अनधिकृत पिस्टल और एक ऑल्टो कार बरामद की गई ।

घटना स्थल और वाहन की फोरेन्सिक टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच की जा रही है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं । दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है । जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है । वहाँ कड़ी सतर्कता बरती जा रही है । केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है । पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आंकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने की अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस का उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो सका ।

श्री ओवैसी के खतरे का पुन: मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनको दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ, अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 'जेड 'श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है ।मेरा वक्तव्य समाप्त होता है , परन्तु श्री ओवैसी जी ने सीआरपीएफ की सुरक्षा ब्रांच को मौखिक रूप से बताया है कि उनको सुरक्षा नहीं चाहिए । मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से श्री ओवैसी जी से विनती करना चाहूंगा कि उनको सुरक्षा ले लेनी चाहिए और सुरक्षा लेकर ही अपने राजनीतिक कार्यक्रम करने चाहिए ।

[Placed in Library, See No. LT 6230/17/22]

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (**औरंगाबाद**): अध्यक्ष जी, मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद अदा करता हूं कि ओवैसी साहब के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसका आपने दखल लिया है, लेकिन मैं आपसे एक-दो सवाल करना चाहता हूं । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लोक सभा में स्टेटमेंट पर सवाल नहीं होता है ।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील : अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ यह कहना है कि इस मामले के अन्दर सेक्शन 120बी नहीं लगाई है ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप मत बोलिए । आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं आ रही है ।

… (व्यवधान) … *

माननीय अध्यक्ष : लोक सभा में स्टेटमेंट के बाद प्रश्न काल नहीं होता है ।

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल, श्रीमती चिंता अनुराधा –उपस्थित नहीं ।
श्री मनीष तिवारी - उपस्थित नहीं ।
श्री एंटो एन्टोनी ।